कुलाधिपति
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या
CHANCELLOR
ACHARYA NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRICULTURE
& TECHNOLOGY, KUMARGANJ, AYODHYA

राजभवन
लखनऊ-227132
RAJ BHAWAN
LUCKNOW-227 132

Dated....23/10/2024....

संख्याःई–8053 / जी0एस0

आदेश

1. प्रत्यावेदिका सुश्री सृष्टि सिंह पुत्री श्री अजय कुमार सिंह, प्रवेशार्थिनी, पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) प्रवेश परीक्षा–2023, (अनुक्रमांक 240745) आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (आगे 'विश्वविद्यालय') द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट सी संख्या 8609/2023 सृष्टि सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (आगे 'अधिनियम') की धारा–23 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11.10.2023 एवं 12.10.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.09.2023 को निरस्त किये जाने तथा प्रत्यावेदिका के पीएच0डी0 (बायोकेमिस्ट्री) में दिये गये प्रवेश को बहाल कराये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.09.2023 द्वारा प्रत्यावेदिका का पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) में दिया गया प्रवेश निरस्त कर उसके द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क वापस किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदिका का कथन है कि उसके द्वारा वर्ष 2013 में हाई स्कूल, वर्ष 2015 में इण्टरमीडिएट, वर्ष 2018 में बी0एससी0 (केमिस्ट्री व जूलॉजी) तथा वर्ष 2020 में एम0एससी0 (बायो–केमिस्ट्री) परीक्षा उत्तीर्ण की गयी। प्रत्यावेदिका द्वारा वर्ष 2022 में ही आई0सी0ए0आर0 की जे0आर0एफ0/एस0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण की गयी किन्तु पारिवारिक परिस्थतियों के कारण वह पीएच0डी0 में प्रवेश नहीं ले सकी।

2(ख). वर्ष 2023 में प्रत्यावेदिका द्वारा UP CATET-23 की परीक्षा (बायो–केमिस्ट्री) में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया और प्रवेश परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर उसके अभिलेखों को आन–लाईन व आफ–लाईन अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया। दिनांक 23–08–2023 को ऑनलाईन अभिलेख कुलसचिव द्वारा बीएस0सी0 (03 वर्षीय) डिग्री को देखते हुए सत्यापन निरस्त किया गया उसके बाद

कमेटी द्वारा आन–लाईन काउन्सिलिंग के उपरान्त प्रवेश हेतु अर्ह पाये जाने पर प्रत्यावेदिका से दिनांक 26.08.2023 को सिक्योरिटी मनी, दिनांक 28.08.2023 को प्रवेश शुक्ल जमा कराते हुए दिनांक 02.09.2023 को विश्वविद्यालय द्वारा उसे महिला राप्ती छात्रावास आवंटित किया गया।

2(ग). विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदिका का पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) में हुए प्रवेश को उसके द्वारा बी0एससी0 (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने के कारण निरस्त किया गया है जबकि पीएच0डी0 हेतु एम0एससी0 (बायो–केमिस्ट्री) की वांछित योग्यता उसके पास है। प्रत्यावेदिका का यह भी कथन है कि उसके समान योग्यता रखने वाले कतिपय अन्य छात्रों यथा : चेतना गंगवार, शैय्यद कुलसुम जेहरा रिजवी, शिल्पा सिंह, सरिता देवी गुप्ता, अंकिता सागर, सत्य प्रकाश, नाजिया खातून, शिवेन्द्र विश्वकर्मा आदि सभी को बी0एससी0 तीन वर्षीय कोर्स के आधार पर पूर्व में प्रवेश देकर, बाद में 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर पीएच0डी0 करायी गयी है और वह 03 वर्षीय बी0एस0सी0 अर्हता रखते हुए एम0एससी0 व पीएच0डी0 (बायो केमेस्ट्री) कर रहे हैं, तदनुसार प्रत्यावेदिका के पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) में दिये गये प्रवेश को बहाल किये जाने की याचना की गयी है।

3. विश्वविद्यालय की आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रत्यावेदिका द्वारा UP CATET-23 से पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) में प्रवेश हेतु विज्ञापित अर्हता M.Sc.(Ag.) in Ag. Biochemistry/M.Sc. Biochemistry (10+02+04+02 Degree Programme) न रखते हुए भी प्रवेश ले लिया गया था जबकि प्रत्यावेदिका की स्नातक डिग्री 04 वर्षीय नहीं थी, 03 वर्षीय होने के कारण प्रत्यावेदिका के उक्त पीएच0डी0 प्रवेश को विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से निरस्त किया गया है। विश्वविद्यालय का यह भी कथन है कि प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा भूलवश प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सत्यापन कर दिया था। प्रवेश हेतु विज्ञापित 04 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रत्यावेदिका के पास न होने के कारण प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण संज्ञान में आने पर कुलपति द्वारा गठित समिति ने प्रत्यावेदिका का प्रवेश निरस्त करने तथा जमा किये गये समस्त

शुल्क वापस किये जाने हेतु की गयी संस्तुति के आलोक में प्रश्नगत प्रत्यावेदिका का प्रवेश निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 05.09.2023 निर्गत किया गया है, जो निम्नवत् है:

"आदेश

कु0 सृष्टि सिंह पुत्री श्री अजय कुमार सिंह द्वारा यूपी कैटेट–2023 में पीएच0डी0 (जीव रसायन) में प्रवेश हेतु अर्हता M.Sc. (Ag.) in Ag. Biochemistry/M.Sc. Biochemistry (10+02+04+02 Degree Programme) न रखते हुए भी प्रवेश ले लिया था। प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति ने कु0 सृष्टि सिंह का प्रवेश निरस्त करने तथा इनके द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क वापस किये जाने की संस्तुति की है।

गठित समिति की संस्तुति के क्रम में कु0 सृष्टि सिंह का प्रवेश निरस्त किया जाता है और यह भी आदेशित किया जाता है कि इनके द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क वापस कर दिये जाय।"

4. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदिका द्वारा UP CATET-23 की परीक्षा पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) प्रोग्राम में प्रवेश हेतु निर्धारित M.Sc.(Ag.) in Ag. Biochemistry/M.Sc. Biochemistry (10+02+04+02 Degree Programme) योग्यता न रखते हुए भी प्रवेश हेतु आवेदन किया गया।
5. प्रत्यावेदिका द्वारा UP CATET-23 की परीक्षा पीएच0डी0 (बायो–केमिस्ट्री) प्रोग्राम में प्रवेश हेतु निर्धारित M.Sc. Biochemistry (10+02+03+02 Degree Programme) योग्यता धारित करते हुए आवेदन किया गया एवं तदनुसार अभिलेख भी प्रस्तुत किये गये जिनका विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों/समिति द्वारा सर्तकतापूर्वक/गहन परीक्षण न करते हुए उसको प्रवेश हेतु अर्ह पाते हुए फीस आदि जमा कराकर विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटि की गयी।
6. विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 में प्रवेश से संबंधित UP CATET-23 एवं UP CATET-24 तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) में सूचना निम्नानुसार वर्णित है :–
   - UP CATET-23 की सूचना विवरणिका (आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या) की Table 3: Ph.D. Programme क्रमांक–1(i) Ph.D. Biochemistry में प्रवेश हेतु M.Sc.(Ag.) in Ag. Biochemistry/M.Sc. Biochemistry

(10+02+04+02 Degree Programme) शैक्षिक योग्यता निर्धारित है अर्थात 04 वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

- UP CATET-24 की सूचना विवरणिका (सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ) की Table 3: Ph.D. Programme क्रमांक–1(i) Ph.D. Biochemistry में प्रवेश हेतु M.Sc.(Ag.) in Ag. Biochemistry/M.Sc. Biochemistry (10+02+04+02 Degree Programme) शैक्षिक योग्यता निर्धारित है अर्थात 04 वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) (आई0सी0ए0आर0) का Information Bulleting for ICAR AICE-JRF/SRF(Ph.D.)-2023 All India Competitive Examination for Admisson to Doctoral Degree Programs & Award of JRF/SRF(Ph.D.) (Academic Session 2023-24) के अध्याय–3 (3.2) Table 3 : Eligibility qualification at Master's level for Ph.D. admission and award of JRF/SRF(Ph.D.) in different Subjects/disciplines का बिन्दु 8 निम्नवत् है:–

Code No.	Subject of Specialization	Eligibility Qualification@ for SAUs/CAUs, etc. and /orICAR-DUs (Master's Degree in)	Additional Eligibility Qualification at Bachelors level for IARI/NDRI
8	Biochemistry	Plant Biochemistry/ Biochemistry.	IARI-B.Sc. (10+2+3 System)

उपर्युक्त इन्फॉरमेशन बुलेटिन के अध्याय–3 की धारा–3.1 में यह भी उल्लिखित है कि "Equivalence of Degrees will be decided by the admitting university only, as per the UGC Public Notice No.F9-3/2016(CPP-II) dated 19 July, 2016 ."

7. उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा की गयी त्रुटि एवं प्रत्यावेदिका के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सुश्री सृष्टि सिंह द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से बी0एससी0 वर्ष 2018 में, एम0एससी0 (जैव रसायन) वर्ष 2020 में तथा आई0सी0ए0आर0 से JRF/SRF की परीक्षा वर्ष 2022–23 में उत्तीर्ण की गयी है।

कुलाधिपति
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या
CHANCELLOR
ACHARYA NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRICULTURE
& TECHNOLOGY, KUMARGANJ, AYODHYA

राजभवन
लखनऊ-227132
RAJ BHAWAN
LUCKNOW-227 132

Dated....................................

चूँकि उपर्युक्त इन्फॉरमेशन बुलेटिन के अध्याय–3 की धारा–3.1 के अनुसार डिग्रियों की समतुल्यता की जॉच संबंधित (आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या) विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने का प्रावधान हैं। अतः प्रश्नगत प्रकरण में एक Equivalence Committee बनायी जाये तथा प्रत्यावेदिका ने जिस विश्वविद्यालय से उक्त स्नातकोत्तर (PG) डिग्री उत्तीर्ण की है उस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक को भी समिति में सम्मिलित किया जाय। प्रत्यावेदिका की डिग्रियों की समतुल्यता के संबंध में Equivalence Committee द्वारा निर्णय लेकर विश्वविद्यालय की सक्षम प्राधिकारी 'प्रबन्ध परिषद' के समक्ष प्रस्तुत कर प्रत्यावेदिका को पीएच0डी0 में प्रेवश दिये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सुश्री सृष्टि सिंह पुत्री श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम–करनपुर, पोस्ट–बभनान सुगर मिल, जिला–गोण्डा–271313(उ0प्र0)।
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।

21/10/24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

Issue
23/10

23/10/24